अध्याय 9
विवरणियां

धारा 37 : जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति [1][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रोनिक रूप में और] ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, कर अवधि के दौरान की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे [2][ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाए]:

[3][.....]

[4][**परन्तु**] आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें, विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

[5][**परन्तु यह और** कि] राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तारण आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(2) [6][.....]

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और [7][.....] उनमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर, ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सुधार करेगा तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''इलैक्ट्रॉनिक रूप में'' के स्थान में अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा परंतुक विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः
''**परंतू** रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिन से पंद्रहवे दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगीः''

4 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''परन्तु यह और भी कि'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा उपधारा (2) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :
''(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के सत्रहवें दिन को या उससे पूर्व परन्तु पन्द्रहवें दिन से पूर्व नहीं या तो इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित हो जाएंगे।''

7 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं,'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात्वर्ती [8][30 नवम्बर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,] इनमें जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

[9]**[परन्तु** यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत् त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।**]**

[10]**[(4)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्ही पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए है :

परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।**]**

[11]**[(5)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिये उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति यह रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिये जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।**]**

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, ''जावक पूर्तियों के ब्यौरे'' पद के अंतर्गत किसी कर अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे नोट, जमापत्र और पुनरीक्षित बीजकों के ब्यौरे भी हैं।

उपयुक्त नियमः नियम 59 एवं 67क

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–1, जीएसटीआर–1क, जीएसटीआर–2, जीएसटीआर–2क, जीएसटीआर–4, जीएसटीआर–4क, जीएसटीआर–6 एवं जीएसटीआर–6क

---

8 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा ''सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

9 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 [आदेश सं. 2/2018–केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित।

10 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 06) द्वारा उपधारा (4) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

11 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (5) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।